

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 168/2016 अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2017/00139)

अनवान:

1. गोमन्दराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बडेरण तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

बनाम

1. सोना देवी धर्मपत्नि श्री पूर्णनाथ जाति नाथ निवासी तेजाणा तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनकरणसर।

23.09.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने उपस्थित होकर हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 24.02.2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट ने उपस्थित होकर हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट हिदायत पैरवी नहीं (No Instruction) होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे।

(वन्दना सिंघवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर



No Instruction  
/10/24